

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्रार्थिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 309]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जुलाई 15, 1977/आषाढ़ 24, 1899

No. 309]

NEW DELHI, FRIDAY, JULY 15, 1977/ASADHA 24, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed
as a separate compilation

MINISTRY OF INDUSTRY

(Department of Industrial Development)

ORDER

New Delhi, the 15th July 1977

S.O. 562(E)/15/IDRA/77—In exercise of the powers conferred by section 15 of the Industries (Development and Regulation) Act, 1951 (65 of 1951), the Central Government hereby makes the following amendments in the Order of the Government of India in the Ministry of Industry (Department of Industrial Development) No. S O. 361(E)/15/IDRA/77 dated 20th May, 1977, namely :—

In the said Order :—

- (1) under the heading “Members”, after serial No. 3, the following serial number shall be inserted, namely —

- | | | |
|----|--|--------|
| “4 | Shri K. P. Sharma,
Senior Cost Accounts Officer,
Cost Accounts Division,
Ministry of Finance, New Delhi | Member |
| 5. | Shri A. K. Bhargava, Adviser,
State Enterprises Department,
Government of Rajasthan,
Jaipur.” | Member |

- (ii) In paragraph 2, for the words “five weeks” the words “twelve weeks” shall be substituted.

[No. F. 2/29/76, CUC]

A. K. GHOSH, Addl. Secy.

उद्योग मंत्रालय

(औद्योगिक विकास विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1977

का० आ० 562 (अ) 15 आई०डी० आर० ए० 77.—केन्द्रीय सरकार, उद्योग (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1951 (1951 का 65) की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक विकास विभाग) के आदेश संख्या का०आ० 361 (अ) 15 आई०डी० आर० ए० 77, तारीख 20 मई, 1977 में निम्नलिखित सशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त आदेश में,

- (i) “सदस्य” शीर्षक के अधीन क्रम संख्या 3 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्याएं अन्तः स्थापित की जाएगी, अर्थात् :—

“4. श्री के० पी० शर्मा,

सीनियर कास्ट एकाउन्ट्स आफिसर, सदस्य
कास्ट एकाउन्ट्स विभाग,
वित्त मंत्रालय, नई दिल्ली।

5. श्री ए० के० भारद्वाज,

सलाहकार, सदस्य
स्टेट इंटरप्राईसिस डिपार्टमेंट,
राजस्थान सरकार,
जयपुर।”

- (ii) पैरा 2 में “पांच सप्ताह” शब्दों के स्थान पर “बारह सप्ताह” शब्द रखे जायेंगे।

[सं० फा० 2/29/76-सी०यू०सी०]

ए० के० घोष, अपर सचिव।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मद्रासालय, मिनटो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा निबंधक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1977